न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

I.DNo-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1246 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2695 / 2026

CNR UPLP 010057342026

1. नीरज वर्मा आयु लगभग 19 वर्ष पुत्र सतीश कुमार वर्मा निवासी रायपुर, थाना–निघासन, जिला खीरी।
2. रविदीप कुमार आयु लगभग 28 वर्ष पुत्र प्रेमप्रकाश निवासी वुचवा थाना पढुवा जिला खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या 531 / 2026
धारा 112, 317(2), 318(4) बी0एन0एस0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट,
थाना–कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी।

25.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्तगण नीरज वर्मा एवं रविदीप कुमार की ओर से मु0अपराध संख्या–531 / 2026, धारा 112, 317(2), 318(4) बी0एन0एस0 व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा उ0नि0 पवन कुमार सिंह ने दिनांक 09.07.2026 को संबंधित थाने पर फर्द बरामदगी इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 09.07.2026 को वह मयहमराहीयान खानाशुदा रोजनामचाआम साइबर क्राइम की रोकथाम व सुरागरसी पतारसी में मामूर थी, इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि आवास विकास कालोनी कोतवाली क्षेत्र जनपद खीरी में कुछ लोग किराये का कमरा लेकर साइबर सम्बन्धी अपराध चला रहे है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके पुलिस बल मुखबिर को साथ लेकर मौके पहुंचा तो मुखबिर मकान बताकर चला गया। पुलिस बल घर के दरवाजे

पर पहुॅचा तो दरवाजा खुला था, मकान की दूसरी मंलि पर एक कमरे में 04 लोग एक बिस्तर पर बैठे मोबाइल लिये फोन चला रहे थे तथा बिस्तर पर भी कुछ फोन व अन्य सामान रखते थे। पुलिसवालों को देखकर एकाएक सकपका गये। पुलिस कर्मियों ने सभी 04 लोगों को मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से नामपता पूछा व जामातलाशी ली तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक वर्मा बताया जिसके पास से 700 रूपये, 01 अदद आधार कार्ड, 03 अदद ए0टी0एम0 (एस0बी0आई0 ग्लोबल इण्डियन बैंक, इण्डियन बैंक), 04 अदद मोबाइल फोन रेडमी, 155 सिम विभिन्न कम्पनियों के जिनमें से 36 सिम प्रिएक्टिवेटेड वोडाफोन कम्पनी, 15 सिम एक्टिवेटेड एकाउण्ट बना हुआ, 64 सिम वोडाफोन कम्पनी जो एकाउण्ट में प्रयोग हुये, 39 सिम जियो कम्पनी के जो एकाउण्ट में प्रयोग हुये बरामद हुये। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नीरज वर्मा बताया जिसकी जामातलाशी से उसके पास से 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी नोट 13 प्रो बरामद हुआ तथा पूछने पर बताया कि साहब उसने अपना मकान का प्रथम तल इन लोगों को किराये पर दिया है, जिसके एवज में वह किराया लेता है और गेमिंग का काम करने का 9000/—रूपया एवं गेमिंग एप से अर्जित लाभ में कमीशन भी लेता है। पकड़े गये तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम रविदीप कुमार बताया जिसके पास से जामातलाशी पर 01 अदद मोबाइल फोन रियल मी 15, 11 अदद एयरटेल क्मपनी के सिम कार्ड व नगद 300 रूपये बरामद हुये। पकड़े गये चौथे व्यक्ति ने अपना नाम आदेश वर्मा बताया जिसके पास से 02 अदद मोबाइल फोन वीवो टी2 प्रो, 03 अदद ए0टी0एम0 एयरटेल, जियो बैंक, पी0एन0बी0 बैंक, 01 अदद फोन पे आईडी0 कार्ड व 57000/—रूपये नगर व 158 अदद नान एक्टिवेटेड सिम बरामद हुये। सभी ने पूछने पर बताया कि वह लोग जनता के गरीब व भोले भाले लोगों को कुछ रूपयों या किसी सरकारी योजना या अधिक लाभ कमवाने का लालच देकर उनके नाम का सिम एक्टिवेट करके उसको एनएसटीएल एकाउण्ट से लिंक कर उसका यू0पी0आई0 बनाकर गेम में पैसा लगाते है और बरामद मोबाइल फोन का प्रयोग आनलाइन पेमेण्ट व गंमिंग ऐप में करते है एवं बने हुये यू0पी0आई0 में साइबर फ्राड का पैसे का लेन देन करते है व साइबर ठगी में इस्तेमाल करते है। अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद सामान को मौके पर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया।

4— प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। दर्शायी गयी घटना फर्जी व मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। दिनांक 09.07.2026 को दिन में लगभग 01.00 बजे थाना कोतवाली सदर की पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज वर्मा को उसके ग्राम रायपुर से बुलाया गया जहां पुलिस ने उसे थाने पर बैठा लिया। अभियुक्त नीरज वर्मा की पैरवी में उसका मौसेरा भाई अभियुक्त रविदीप थाने पर पहुंचा जहां पुलिस द्वारा अवैध धन की मांग की गयी जिसे अभियुक्तगण द्वारा मना कर दिया गया, जिससे अभियुक्तगण तथा पुलिस के बीच वाद विवाद हो गया, जिससे पुलिस द्वारा रंजिशन उपरोक्त मुकदमे में झूठा नामजद किया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, दिखायी गयी बरामदगी फर्जी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 10.07.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार है। अभियुक्तगण मिली जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जनता के लोगों से साइबर ठगी की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— प्रकरण में पुलिस द्वारा दिनांक 09.07.2026 को समय 21.25 बजे, स्थान आवास विकास कालोनी शहर लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी से प्रार्थी/अभियुक्त नीरज वर्मा के पास से जनता के लोगों से बेईमानी व छल से साइबर ढगी कर प्राप्त किये गये 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी नोट 13 प्रो बरामद की बरामदगी होने तथा अभियुक्त रविदीप कुमार के पास से 01 अदद मोबाइल फोन रियल मी 15, 11 अदद एयरटेल क्मपनी के सिम कार्ड व नगद 300 रूपये बरामद होने का आरोप है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि केस डायरी में किसी ऐसे व्यक्ति का बयान अंकित नहीं पाया जाता है, जिसके साथ अभियुक्तगण द्वारा छल अथवा ठगी की गयी हो।

अभियुक्तगण से बरामद माल किसी चोरी की घटना से सम्बद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की धाराएं 07 वर्ष व उससे कम की सजा के कारावास से दण्डनीय है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण दिनांक 10.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण नीरज वर्मा एवं रविदीप कुमार प्रत्येक द्वारा रू0 75,000 (पचहत्तर हजार)/–की धनराशि के स्वबंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक–एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायः–

1–अभियुक्तगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेंगे।

2–अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

3–अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगे।

4–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17–12–2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पते के विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किये जायेंगे।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
25.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.31 19:59:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court